हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर बउनवान मूलाराम बनाम जेठाराम वगैरह अपील संख्या 33/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

04.06.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। अपील पत्रावली पर अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सी पी सी बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस को अपने खातेदारी खेत में आने जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। उक्त आवेदन वाद सुनवाई दिनांक 24.02.2025 को स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में पारित आदेश की पालना हेतु आवेदन तहसीलदार को पेश किया गया तब पता चला कि अपीलाधीन आराजी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.06.2024 को स्थगन आदेश पारित किया गया। स्थगन आदेश दिनांक 25.06.2024 के प्रभाव में रहने से अपीलांट को अपने खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता रूका हुआ है। प्रार्थी स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन अंतर्गत धारा 212 पेश करते वक्त अनुतोष में लिखा है कि राजस्व गांव तथा श्मशान घर तक रास्ता निकलता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट को रास्ते से वंचित किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होना संभाव्य है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अपीलांट उपरोक्त स्थिति में हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध एवं पीड़ित पक्षकार है। अतः अपीलाट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उत्तरदाता के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट मूल वाद एवं आवेदन में पक्षकार नहीं है। अपीलांट हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध पीड़ित एवं आवश्यक पक्षकार कैसे है स्पष्ट नहीं किया गया। अपीलकर्ता मूल वाद में पक्षकार बनने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश कर पक्षकार संयोजित नहीं हुआ। इस कारण मूल वाद में पक्षकार नहीं होने से स्थगन आवेदन में पारित आदेश की अपील करने का अधिकारी नहीं है। अपीलकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। न ही सुनवाई हेतु कोई प्रयास किया गया। अपीलकर्ता अपीलाधीन आराजी का सहखातेदार नहीं है तथा न ही अपीलकर्ता का अपीलाधीन आराजी में कोई हित या अधिकार है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी खारिज करते हुए अपील को इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये मौजा प्रभूओणी मालियों का वास के खसरा संख्या 731/565 व अन्य खसरों पर स्थगन आदेश पारित किया गया। अपीलांटस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के समक्ष पेश आवेदन अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को दिनांक 24.02.2025 को स्वीकार किया गया। उक्त आदेश की पालना करने में आलोच्य स्थगन आदेश दिनांक 25.06.2024 बाधा उत्पन्न करता है। उतरदात्ता स्वयं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश आवेदन अंतर्गत धारा 212 में अनुतोष में अंकित किया कि राजस्व गांव तथा श्मशान घर तक रास्ता निकलता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। प्रस्तावित रास्ता खोलने में अपीलाधीन आदेश आड़े आ रहा है। इसलिए अपीलांट अपीलाधीन आदेश से पीड़ित एवं हितबद्ध पक्षकार है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाकर अपील अनुज्ञात की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 481/2024 बउनवान जेठाराम बनाम गिरधारीराम वगैरह में पारित आदेश

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक 25.06.2024 में संशोधन करते हुए उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व आवेदन संख्या 612/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2025 की पालना में सार्वजनिक आवागमन हेतु रास्ता खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है शेष स्थगन आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश मेरे द्वारा दिनांक 04.06.2025 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

04/06/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर